

मोप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेसा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बी-6 / नियमन / विविध / 136—पार्ट / 2015/3352 भोपाल, दिनांक: 21.01.2015


// आदेश //

विषय:— मंडी अधिनियम एवं उपविधियों का पालन सुनिश्चित किये जाने बावत्।

मंडी समितियों के भ्रमण एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाली जानकारियों से यह संज्ञान में आया है कि कृषि उपज मंडी समितियों में नवाचार के संदर्भ में मंडी अधिनियमों एवं उपविधियों के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित किये बगैर कतिपय कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यवाहियाँ/प्रयोग किये जा रहे हैं एवं मंडी बोर्ड तथा राज्य शासन से इस हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की जा रही है।

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है मंडी समिति/आंचलिक कार्यालय मंडी अधिनियम एवं उपविधियों के बाहर कोई भी कार्य मंडी समिति/मंडी कार्य क्षेत्र में करने का अनुमोदन प्रदत्त करने हेतु/कार्य आरंभ करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। मंडियों में नवाचार तात्कालिक आवश्यकता है और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड भी प्रोत्साहित करता है, परन्तु विषय संदर्भ में यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि जो भी कार्यवाही नवाचार के परिप्रेक्ष्य में की जाये वह मंडी अधिनियम एवं मंडियों उपविधियों के प्रावधानों के तहत ही हो तथा अधिनियम एवं उपविधियों के प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी/मंडी बोर्ड से इसकी पूर्व अनुमति अनिवार्यतह प्राप्त की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाए।



(अरुण पाटेल)
प्रबंध सचालक

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/अध्यक्ष मण्डी बोर्ड भोपाल : सूचनार्थ ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मंत्रालय, भोपाल : सूचनार्थ ।
- 3- निज सहायक, प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड भोपाल : सूचनार्थ ।
- 4- अपर संचालक, समस्त/मुख्य अभियन्ता, मण्डी बोर्ड भोपाल : सूचनार्थ ।
- 5- संयुक्त संचालक/उप संचालकआंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड (समस्त) : आवश्यक कार्यवाही के लिये ।
- 6- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....(समस्त) : आवश्यक कार्यवाही के लिये ।
- 7- मण्डी कार्मिक शाखा/बोर्ड कार्मिक शाखा/लेखा शाखा/आडिट शाखा/नियमन शाखा/कम्प्यूटर शाखा/स्टोर शाखा/आदेश नस्ती ।



प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल